

**22 Jan 2022**

**Subject Teacher**

*Adv. Rajendra Rathore (+91 702 3065 394)*

*35 - Old Chambers*

*107 in Nobel Chambers*

*Recommend book - Suryanarayan Mishra*

**Payment of wages Act, 1936**

Enforcement of this Act on 28 March 1937

**Wage** - धन के रूप में अभिव्यक्त होने वाली मज़दूरी जिस से नियोजन संविदा में अभिव्यक्त या विवक्षित वर्णित सभी निबंधन/ शर्तों की पूर्ति करता हो।

(धन के रूप में अभिव्यक्त पारिस्त्रमिक)

(जिस का मतलब धान की मंडी।)

जीवन निर्वाह सूचकांक = life index

Before bonus Act the bonus was not a part of wages but after the bonus Act it become part of wages. If the bonus is provided in form of profit (लाभांश) is not a part of wages.

HRA - मज़दूर का हिस्सा है

यात्रा भत्ता भी मज़दूर का हिस्सा नहीं है। जो कार्य के लिए के यात्रा हो।

Overtime is also a part of wage.

8.33% of salary part has to be given as bonus.

Who is responsible to pay?

Manager or employer (नियोजक) or the person who has made a contract with you (contractor)

नियोजक सीधा payment कर सकता है।

नियोजक की जानकारी के बिना भी नियुक्ति हो सकती है। कैसे? किसी agency के द्वारा किसी श्रमिक की नियुक्ति करना।

Duration - monthly basis should be done. The employer has to pay the wages within the 7 days of last 30 days of work.

In case of state govt it can be 10 days and it can extend to 15 days (in exceptional case)

Time - The payment has to be made only on working days and in working hours.

Mode of payment - प्रचलित currency (sec 3 to 6)

After amendment आपके निवेदन पर लिखित आवेदन पर किसी वित्तिय संस्था में जमा करवा सकते हैं। e.g. bank

**28 Jan 2022**

अगर किसी factory मज़दूर की सेवा समाप्त कोई employer करता है तो उनका भुगतान 2 दिन के भीतर करना होगा।

jins के रूप में भुगतान होता है तो उसके value पहले से ही तय की जाएगी।

jins का अर्थ है खाध्यान

**Deduction (कटौती)** - मज़दूरी बिना किसी कटौती के अदा की जाएगी।

कटौती जैसे PF, यदि लिख कर दे की सदस्यता के लिए इत्यादि।

निलम्बन, अनुपस्थिती या जुर्माना ये कटौतियाँ वैध हैं।

15 वर्ष तक की आयु के मज़दूर का कोई जुर्माना नहीं काटा जाएगा।

जुर्माना (Fine) sec 8

अनुपस्थिती sec 9

10 या अधिक एकमत हो कर बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अनुपस्थिती पर 8 दिन से ज़्यादा की मज़दूरी नहीं काटी जाएगी।

अवैध हड़ताल में शामिल होने पर मज़दूरी काटी जाएगी।